



जज अदालत अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकाम झुझुनू  
 सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव बनाम श्री प्रमोद चोपदार पुत्र श्री विनोद कुमार  
 किस्म मुकदमा FSSAI नं. 37 सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/9/22	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 एवं नियम 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 21/09/2022 को पेश हो। 	
21.9.2022	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 22.09.2022 को पेश हो।	
22.09.2022	पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक स्वयं उपस्थित। मैंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अनावेदक/अभियुक्त संख्या का कथन है कि उसने सुभाष चौक मण्डावा में मै0 चोपदार मिष्ठान भण्डार के नाम से मिठाई की दुकान कर रखी है जहां वह ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले दुध को खरीद कर पेड़ा (मावा मिठाई) बनाता है। अनावेदक ने पेड़ा (मावा मिठाई) में अपने स्तर पर कोई मिलावट नहीं की है। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./1614/एक्ट/2022/1599 दिनांक 26.04.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ पेड़ा (मावा मिठाई) सबस्टैण्डर्ड (Sub-standard Food) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूंकि अनावेदक अपनी दुकान मै0 चोपदार मिष्ठान भण्डार पर पेड़ा (मावा मिठाई) स्वयं तैयार करता है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ पेड़ा (मावा मिठाई) के सबस्टैण्डर्ड (Sub-standard Food) The sample is also food containing extraneous matter (Foreign Fat) under section 3(1)(i) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री प्रमोद चोपदार पुत्र श्री विनोद कुमार, मै0 चोपदार मिष्ठान भण्डार, सुभाष चौक मण्डावा, निवासी वार्ड नम्बर 6 मण्डावा, जिला झुझुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 3000/- तीन हजार रुपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जमा चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमिल जाबा दाखिल क्तर हो। 	प्रमोद चोपदार